निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021 | 221

प्रार्थी अमर सिंह पुत्र साईया सिंह जाति रायसिख निवासी 500 एलएनपी सैकिण्ड शिवपुर श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद गुम बाबात एफ.आर.आर, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता साईया सिंह पुत्र माणा सिंह जाति रायसिख निवासी 500 एलएनपी सैकिण्ड शिवपुर श्रीगंगानगर ने दिनांक 05.08.2010 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 23.07.2015 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 05.08.2010 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान ओमप्रकाश पुत्र हजारी लाल एवं उग्रसेन पुत्र चानणराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री रमेश सिंह अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय